भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1374

(03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लखपति दीदी और एसएचजी

1374. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लखपति दीदी और नैनो दीदी पहल से लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं की संख्या का राज्य-वार और श्रेणी-वार (एससी/एसटी/ओबीसी) ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या का ब्यौरा क्या है और शेष एसएचजी को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने हेतु राज्य-वार समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें निरंतर पोषण और सहायता प्रदान करना है ताकि एक निश्चित समय अवधि के दौरान उनकी आय में प्रशंसनीय वृद्धि हो और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो तथा वे घोर गरीबी से बाहर आ सकें। लखपति दीदी पहल डीएवाई-एनआरएलएम के परिणामों में से एक है। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को लखपति बनाने के लिए एक संरचित

दृष्टिकोण अपनाया गया है, यानी वे स्थायी आधार पर प्रति वर्ष न्यूनतम एक लाख रुपये की आय अर्जित करती हैं। लखपति दीदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या ***अनुबंध-I*** में दी गई है। मंत्रालय में श्रेणीवार डेटा नहीं रखा जा रहा है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की नमो ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य 2023-24 से 2025-26 तक डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 15,000 एसएचजी सदस्यों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरक कंपनियों ने अपने संसाधनों के माध्यम से एसएचजी सदस्यों को 503 ड्रोन वितरित किए हैं। राज्यवार विवरण ***अनुबंध-II*** में दिए गए हैं।

(ख): डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, अक्टूबर, 2024 तक 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.87 लाख एसएचजी में संगठित किया गया है। डीएवाई एनआरएलएम एक प्रक्रिया संचालित कार्यक्रम है, जहां एसएचजी को विभिन्न लाभ, जैसे, परिक्रामी निधि, सामुदायिक निवेश निधि, बैंक लिंकेज आदि उनकी पात्रता और उनकी मांगों के अनुसार दिए जाते हैं।

(ग): मंत्रालय ने डीएवाई-एनआरएलएम के तहत कार्यकलापों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता पर पड़ने वाली जटिलताओं को समझने के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए हैं। डीएवाई-एनआरएलएम का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन 2019-20 के दौरान विश्व बैंक के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव मूल्यांकन पहल (3i e) द्वारा किया गया था। मूल्यांकन निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्षों को इंगित करता है:

i. आधार राशि के अलावा आय में 19 प्रतिशत की वृद्धि।

ii. अनौपचारिक ऋण अंश में 20 प्रतिशत तक की कमी।

iii. बचत में 28 प्रतिशत की वृद्धि।

iv. श्रम शक्ति भागीदारी में बढ़ोत्तरी-उपचार क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय के साथ-साथ गौण व्यवसाय के रूप में अपनाने वाली महिलाओं का अनुपात (4%)अधिक है।

v. अन्य योजनाओं तक पहुँच में बढ़ोत्तरी–लाभ पाने वाले परिवारों द्वारा सामाजिक योजनाओं के लाभ की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि (2.8 योजनाओं के आधार मूल्य से 6.5 प्रतिशत अधिक)।

*****

अनुबंध-I

"लखपति दीदीयों एवं एसएचजी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1374 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्र.स.	राज्य	लखपति दीदीयों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	482
2	आंध्र प्रदेश	14,87,631
3	अरुणाचल प्रदेश	5,057
4	असम	5,18,359
5	बिहार	13,47,649
6	छत्तीसगढ़	3,37,097
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,021
8	गोवा	866
9	गुजरात	5,38,760
10	हरियाणा	62,743
11	हिमाचल प्रदेश	40,417
12	जम्मू एवं कश्मीर	43,050
13	झारखंड	3,51,808
14	कर्नाटक	2,36,315
15	केरल	2,84,616
16	लक्षद्वीप	60
17	मध्य प्रदेश	10,51,069
18	महाराष्ट्र	10,04,338
19	मणिपुर	15,559
20	मेघालय	39,976
21	मिजोरम	17,167
22	नगालैंड	12,294
23	ओडिशा	5,37,350
24	पुदुचेरी	7,546
25	पंजाब	31,700
26	राजस्थान	2,70,405

27	सिक्किम	7,794
28	तमिलनाडु	3,18,101
29	तेलंगाना	7,58,693
30	त्रिपुरा	58,495
31	लद्दाख	51,903
32	उत्तर प्रदेश	8,41,923
33	उत्तराखंड	37,178
34	पश्चिम बंगाल	11,81,852
कुल		**1,15,00,274**

****

अनुबंध-।।

"लखपति दीदीयों एवं एसएचजी" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1374 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत राज्यों को प्रदान किए गए ड्रोन		
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**ड्रोन्स की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	97
2	असम	9
3	बिहार	5
4	छत्तीसगढ़	12
5	गुजरात	18
6	हरियाणा	22
7	हिमाचल प्रदेश	4
8	झारखंड	1
9	कर्नाटक	84
10	केरल	2
11	मध्य प्रदेश	34
12	महाराष्ट्र	30
13	ओडिशा	12
14	पंजाब	23
15	राजस्थान	19
16	तमिलनाडु	17
17	तेलंगाना	72
18	उत्तर प्रदेश	32
19	उत्तराखंड	3
20	पश्चिम बंगाल	7
कुल		**503**